**FIRST INFORMATION REPORT**
**(Under Sec.173 BNSS)**

Book No.1504 Serial No. 10

1. District : PS: Year: FIR No.: Date:

| District | PS | Year | FIR No. | Date |
|---|---|---|---|---|
| **New Delhi** | **SC-III/ND** | **2026** | **RC0522026S0004** | **25.05.2026** |

2. (1) Act BNS, 2023 Sections: 80(2), 85 & 3(5)

   (2) Dowry Prohibition Act, 1961 Sections: 3 & 4

3. (a) **Suspected Offence**- Dowry death, Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty, common intention, taking dowry & demanding dowry.

   Day: **Tuesday** Date: **12.05.2026** Time: **22:20 hrs to 22:35 hrs.**

   Information received at PS: **CBI, SPECIAL CRIME-III, NEW DELHI**

   Entry No.: 06 Date: **25.05.2026** Time: 20:30 **Hrs.**

4. Type of information (Written / Oral): **Written**

5. Place of occurrence :---

   (a) Direction & Distance from PS : -

   (b) Address :- HIG 311, Bag Mughalia Extension, Katara Hills, Bhopal, MP

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then

   Name of PS: NA - District- NA

6. Complainant / Informant. : Complainant

   (a) Name : Dr. Rajanish Kashyap Kaul

   **(b)** Father's/Husband's Name : --

   (c) Date of Birth : 16.04.1987

   **(d)** Nationality : Indian

   (e) Passport No. - NA Date of Issue – NA Place of issue- NA

(f) Profession : --

(g) Address : Misrod, Bhopal Urban, Madhya Pradesh, India.
Phone :- 91-9479990541

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars:
(Attached separate sheet, if necessary)

| S. No. | Name Alias | Alias | Relative's Name | Present Address |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Giribala Singh (Mother-in-law) | | | HIG 311, Bag Mughalia Extension, Katara Hills, Bhopal |
| 2. | Samartha Singh (Husband) | | | HIG 311, Bag Mughalia Extension, Katara Hills, Bhopal |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant: N/A

9. Particulars of properties Stolen (Attach separate sheet, if necessary):
N/A

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D. Case No., if any,: 13/2026

12. First information contents (Attach separate sheet, if required):

The State Government of Madhya Pradesh issued Notification U/s 6 of DSPE Act, vide F. No. -22/0002/2026-B-1-02(HOME) dated 22.05.2026, according consent to extension of powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Madhya Pradesh, for conducting investigation of the criminal case bearing number 0133/2026 under Section 80(2), 85, 3(5) of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) and section 3 and 4 of Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961), Police Station Katara Hills, Bhopal Urban (M.P.). The consent is also accorded for investigation of any offence(s), abetment of offence(s) and/or conspiracy in relation to or in connection with the said investigation.

Consequently on the basis of notification issued by Govt. of Madhya Pradesh, Notification U/s 5 of DSPE Act has been issued by DoPT, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Govt. of India, vide F.No. 228/53/2026-AVD-II dated 25.05.2026 and thereby extended the power and jurisdiction of members of Delhi

Special Police Establishment i.e. CBI in the whole of the State of Madhya Pradesh for transfer and conducting investigation of criminal case bearing number 0133/2026 under Section 80(2), 85, 3(5) of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) and section 3 and 4 of Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961) registered at Police Station Katara Hills, Bhopal Urban (M.P.) in connection with an incident of dowry death of newly-wed women, occurred on 12th May, 2026 at Bag Mughalia Extension, Katara Hills, Bhopal and any offence(s), abetment of offence(s) and/or conspiracy in relation to or in connection with the said investigation.

**The contents of the original FIR No. 133/2026 registered at Police Station Katara Hills, Bhopal Urban (M.P.) are reproduced as below:-**

मै एसीपी रजनीश कश्यप मिसरोद संभाग नगरीय पुलिस भोपाल में पदस्थ हूं। थाना कटारा हिल्स के मर्ग क्रमांक 13/26 धारा 194 बीएनएसएस में मृतिका त्विषा शर्मा पत्नि समर्थ सिंह उम्र 33 साल निवासी बागमुगालिया कटारा हिल्स नव विवाहिता होने से मर्ग डायरी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई जिसमें पाया कि सूचक एम्स अस्पताल से डाक्टर कार्तिक ने दिनांक 13/05/26 के रात्रि 00.05 बजे जरिये मो. 8248751270 सूचना दिया कि पेसेन्ट त्विषा शर्मा पति समर्थ सिंह उम्र 31 साल नि. HIG/311 बागमुगालिया एक्टेंशन कटारा हिल्स भोपाल को पेसेन्ट के पति समर्थ सिंह मो. 9620798265 इलाज हेतु अस्पताल लेकर आये जिन्होने बताया कि पेसेन्ट त्विषा ने दिनांक 12/05/26 के रात्रि 10.20 बजे स्वयं से घर पर फांसी लगा ली थी डाक्टर द्वारा चेक करने पर पेसेन्ट मृत होना बताया जिसकी पीएमएलसी संख्या 1498/26 है सूचना पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया पंचनामा कार्यवाही हेतु उनि दिनेश शर्मा को मर्ग जांच हेतु दिया गया। दौराने मर्ग जाचं मृतिका त्विषा शर्मा पत्नि समर्थ सिंह के शव पंचायतनामा की कार्यवाही कार्पालिक मजिस्ट्रेट महोदय श्री राजेश गौतम तहसीलदार गोविंदपुरा संभाग द्वारा महिला पंचानो की उपस्थिती में महिला मर्यादा का ध्यान रखते हुये की गई बाद एम्स भोपाल में मृतिका त्विषा का पीएम हुआ जिसकी शार्ट पीएम रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा मृत्यु का कारण Death is due to antemortem hanging by ligature, Multiple antemortem injuries (simple in nature possible by blunt force over other parts of body have been noted) होना लेख है। पीएम बाद मृतिका त्विषा का शव उनके परिजनो माता पिता, भाई व चाचा को अंतिम सस्कार हेतु सुपुर्द किया गया बाद घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर नक्शामौका तैयार किया गया एंव एफएसएल टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया व घटना स्थल से भौतिक साक्ष्य संकलित कर विधिवत् जप्ति किये गये है बाद मृतिका के परिजनो उनके माता श्रीमती रेखा रानी शर्मा पिता नवनिधी शर्मा, भाई हर्षित शर्मा भाभी श्रीमती राशि अबरोल के कथन लेख किय गये जिन्होने अपने कथनो में बताया कि दिनांक 09.12.2025 को त्विषा शर्मा की शादी समर्थ सिंह पुत्र स्व. राकेश कुमार सिंह उम्र 34 साल निवासी म.न. एचआईजी-311 हाउसिंग बोर्ड कालोनी कटारा हिल्स जिला भोपाल से नोयडा उप्र में सामाजिक

हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी में मृतिका के परिवार द्वारा अपनी बेटी को अपने सामर्थ्य से बढ़कर दान दहेज दिया गया था व शादी के समय त्विषा की सास गिरिबाला सिंह के मांग करने पर 200000/- रुपये दिये गये थे। लेकिन शादी कुछ समय बाद ही जनवरी-फरवरी में मृतिका त्विषा शर्मा को उसकी सास गिरिबाला सिंह व उसके पति समर्थ सिंह द्वारा दहेज को लेकर ताने मारे जाने लगे कि तुम्हारे माँ-बाप ने शादी में जो खर्च किया है, वह हमारे स्टैण्डर्ड के हिसाब से कम है। शादी के बाद से ही उसकी सास व उसके पति द्वारा उसे खर्चे के पैसे नहीं दिये जाते थे, जिस पर मेरे द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से अपनी पुत्री को पैसे दिये गये है। अप्रैल 2026 में मेरी बेटी त्विषा शर्मा करीब 01 माह के गर्भ से थी, जो मेरे दामाद व उसकी मां गिरिबाला सिंह द्वारा बोला जाता था कि तेरे पेट में जो बच्चा है, यह दुसरे का है तुम यह बच्चा गिरा दो तभी हम लोग तुम्हे अपने घर में रहने देगें। मई 2026 के पहले सप्ताह में मेरी पुत्री त्विषा शर्मा को उसके पति समर्थ सिंह व सास गिरिबाला सिंह द्वारा मेरी बेटी के चरित्र पर गलत आरोप लगाकर उस पर दबाव बनाया, तब उसने अपने पति के साथ अपना आवर्शन करवाया था। जिसके बाद मृतिका अपने मायके चली गई थी। जिससे झगड़े की समस्या का समाधान करने के लिये मृतिका के परिजन दिनांक 22.04.2026 को त्विषा, उनकी मां, व भाई हर्षित व मामा का लड़का आशीष के साथ समर्थ सिंह के घर गये थे जंहा समर्थ ने कहा था कि वह अब से त्विषा के साथ कोई हाथापाई नहीं करेंगे बाद दिनांक 12.05.26 के दिन में मेरी बेटी ने मुझे कई बार फोन कर बातचीत की उसके बाद रात्रि करीबन 09.41 बजे मेरे नम्बर पर वाट्सअप पर फोन किया, फिर मेरी पत्नी ने भी मेरी बेटी से बात करने लगी, मेरी पत्नी मेरी बेटी से बात कर रही थी तो पीछे से मेरे दामाद समर्थ सिंह के चिल्लाने की आवाज आयी कि किससे बात कर रही है और इतने में फोन कट गया और मेरी बेटी का मोबाइल फोन बन्द हो गया, फिर मैंने अपनी बेटी के मोबाइल तथा समर्थ सिंह व उनकी मां गिरिबाला सिंह के मोबाइल पर कई बार करीबन 20 मिनट तक फोन किया गया किन्तु किसी के द्वारा भी मेरा फोन नहीं उठाया गया फिर रात्रि करीबन 10.35 बजे मेरी बहू राशि का फोन गिरिबाला सिंह द्वारा उठाया गया तो राशि ने उनसे बोला कि त्विषा से बात करा दीजिए तो गिरिबाला द्वारा बोला गया कि सी इज नो मोर कहते हुए फोन काट दिया गया। मृतिका को शादी के बाद से ही दहेज को लेकर शादी के बाद जनवरी, फरवरी से ही शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया है, मृतिका के अपने परिजनो से की गई व्हाट्सअप चैट भी परिजनो द्वारा पेश की गई जिसे विधिवत् जप्त किया गया, मृतिका त्विषा शर्मा के मर्ग सदर की जांच में मर्ग इंटीमेंशन, शार्ट पीएम रिपोर्ट, शव पंचायतनामा, कथन गवाहन व मृतिका के परिजनो द्वारा पेश किये गये शादी से संबंधित फोटो, शादी कार्ड व व्हाट्सअप चैट व प्रस्तुत साक्ष्यो के आधार पर प्रथम दृष्ट्या पाया गया कि मृतिका त्विषा शर्मा पत्नी समर्थ सिंह उम्र 33 साल निवासी बागमुगालिया कटारा हिल्स की मृत्यु मृतिका की सास गिरिवाला सिंह व पति समर्थ सिंह द्वारा, दहेज को लेकर शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना पाया गया है। जिससे मृतिका त्विषा शर्मा, अपनी सास गिरिबाला सिंह पत्नि स्व. राकेश कुमार सिंह व समर्थ सिंह पुत्र स्व. राकेश कुमार सिंह से मारपीट व दहेज प्रताड़ना से परेशान व प्रताड़ित होकर फांसी लगाकर निवास स्थान HIG/311 बागमुगालिया एक्टेशन कटारा हिल्स मैं आत्महत्या करना पाया गया है जो प्रथम द्रष्ट्या अपराध दहेज़ मृत्यु, शारीरिक में आत्महत्या करना पाया गया है जो प्रथम दृष्ट्या अपराध दहेज मृत्यु, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के तहत धारा

80(2), 85, 3(5) बीएनएस एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के अंतर्गत आने से आरोपीगण गिरिबाला सिंह व समर्थ सिंह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है कायमी की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों व न्यायालय को दी जाती है।

13. Action taken : A Regular Case is registered.

(1) Registered the case and took up the investigation

(2) Directed (Name of IO) Rank : Ms. Nishu Kushwaha, Dy.SP, CBI

(3) Refused investigation due to or : NA

(4) Transferred to PS - District - on point of jurisdiction - N/A

14. Signature/Thumb Impression of the complainant/informant

Signature of Officer in-charge
Police Station: **CBI/SC-III/ND**

Name: **RAJBIR SINGH**
Rank : **SUPDT. OF POLICE**
**CBI/SC-III/NEW DELHI**

राजबीर सिंह/RAJBIR SINGH
पुलिस अधीक्षक/Supdt. of Police
के० अ० ब्यूरो, वि. अ. -III, नई दिल्ली
CBI, SC-III, New Delhi

15. Date and time of dispatch to the Court

Signature of recording Officer with date

Attachment to item 7 of First Information Report

| S.No. | (Sex) | Date/Year of Birth | (Built) | (Height) (in cms) | (Complexion) | (Identification Mark/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| (Deformities/ peculiarities) | (Teeth) | (Hair) | (Eye) | (Habits) | (Dress Habit/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| (Language / Dialect) | (Burn Mark) | (Leucoderma) | (Mole) | Place of (Scar) | (Tattoo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

**CONFIDENTIAL**

Endst. No. 1192 /3/RC0522026S0014/SC-III/CBI/ND Dated: 25.05.2026

Copy forwarded to the following for information & further necessary action:-

(1) The Chief Judicial Magistrate, Bhopal, MP.

(2) The Head of Zone (SC Zone), CBI, New Delhi.

(3) The Secretary, Home Department, Govt. of Madhya Pradesh, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal, MP – for information.

(4) Ms. Nishu Kushwaha, Dy.SP, CBI

(5) Crime Section, CBI/ Special Crime-III /New Delhi

(6) Guard File.

**(RAJBIR SINGH)**
**Supdt. of Police**
**CBI/SC-III/New Delhi**

राजबीर सिंह/RAJBIR SINGH
पुलिस अधीक्षक/Supdt. of Police
के० अ० ब्यूरो, वि. अ. -III, नई दिल्ली
CBI, SC-III, New Delhi

**GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH**
**HOME DEPARTMENT**
**MANTRALAYA, VALLABH BHAWAN, BHOPAL**

**NOTIFICATION**

**Bhopal, Dated: 22-05-2026**

F.No.-22/0002/2026-B-1-02(HOME); Whereas, a criminal case bearing number 0133/2026 under Sections 80(2), 85, 3(5) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) and sections 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961) was registered at Police Station Katara Hills, Bhopal Urban (M.P.) in connection with an incident of dowry death of a newly-wed woman, occurred on 12th May, 2026 at Bag Mughalia Extension, Katara Hills, Bhopal and it is now proposed to transfer investigation of the aforementioned criminal case to the Central Bureau of Investigation.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Government of Madhya Pradesh is hereby pleased to accord consent to the extension of powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Madhya Pradesh, for conducting investigation of aforesaid case.

The consent is also accorded for investigation of any offence(s), abetment of offence(s) and/or conspiracy in relation to or in connection with the said investigation.

By Order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

(Krishnaveni Desavatu)
Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
Home Department

Endt. No.- /22/0002/2026-B-1-02(HOME); Bhopal Dated 22-05-2026

Copy to-

1. The Joint Secretary, (S&V), Department of Personnel and Training, GOI, North Block, New Delhi -110001
2. Secretary (HOME) Ministry of Home Affairs, Govt. of India, New Delhi
3. The Director, CBI, New Delhi-110001
4. The DGP, MP, PHQ, Bhopal, (M.P.)
5. The District Magistrate, Bhopal, (M.P.)
6. The Commissioner of Police, Bhopal, (M.P.)
7. The Joint Director, CBI (Central Zone), Char Imli, Bhopal, (M.P.)
8. The SP, CBI, Bhopal (M.P.) For information and n/a.

22/5/2026
Secretary
Govt. of Madhya Pradesh
Home Department

**मध्य प्रदेश शासन**

**गृह विभाग**

**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

**<u>अधिसूचना</u>**

भोपाल, दिनांक: **22.05.2026**

क्र.-22/0002/2026-B-1-02(HOME); यतः, दिनांक 12 मई 2026 को बाग मुगालिया एक्सटेंशन, कटारा हिल्स, भोपाल में घटित एक नव-विवाहिता की दहेज मृत्यु की घटना के संबंध में पुलिस थाना कटारा हिल्स, भोपाल शहरी (म.प्र.) में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 80(2), 85, 3(5) धारा 80(2), 85, 3(5) एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 3 एवं 4 के अधीन एक आपराधिक प्रकरण क्रमांक 0133/2026 पंजीबद्ध किया गया था और अब यह प्रस्तावित है कि उपर्युक्त आपराधिक प्रकरण का अनुसंधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हस्तांतरित किया जाए।

अतएव, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उपरोक्त प्रकरण का अनुसंधान करने हेतु दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में करने की सहमति प्रदान करती है।

उक्त अनुसंधान से संबंधित या के संबंध में अपराध (अपराधों), के दुष्प्रेरण तथा/अथवा षडयंत्र के अनुसंधान के लिए भी सहमति प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(कृष्णावेणी देशावतु)
सचिव
म.प्र.शासन,गृह विभाग

पृ.क्र.- /22/0002/2026-B-1-02(HOME); भोपाल, दिनांक: 22.05.2026

प्रतिलिपिः-

1. संयुक्त सचिव (एस एंड वी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001
2. सचिव (गृह), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, सीबीआई, नई दिल्ली - 110001।
4. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
5. जिला दण्डाधिकारी, भोपाल (म.प्र.)।
6. पुलिस आयुक्त, नगरीय भोपाल, जिला भोपाल (म.प्र.)।
7. संयुक्त निदेशक, सीबीआई (सेंट्रल ज़ोन), चार इमली, भोपाल (म.प्र.)।
8. पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, भोपाल (म.प्र.) को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

22/5/2026

सचिव
म.प्र. शासन, गृह विभाग

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

**GOVERNMENT OF INDIA**
**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**
**(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)**

**New Delhi, Dated the 25th May, 2026**

## NOTIFICATION

S.O. .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Madhya Pradesh, issued vide Home Department Notification F.No.-22/0002/2026-B-1-02(HOME), Dated, 22.05.2026, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Madhya Pradesh for transfer and conducting investigation of a criminal case bearing number 0133/2026 under Sections 80(2), 85, 3(5) of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) and sections 3 and 4 of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961) registered at Police Station Katara Hills, Bhopal Urban (M.P.) in connection with an incident of dowry death of a newly-wed woman, occurred on 12th May, 2026 at Bag Mughalia Extension, Katara Hills, Bhopal and any offence(s), abetment of offence(s) and/or conspiracy in relation to or in connection with the said investigation.

**[F. No. 228/53/2026-AVD-II]**

**(Satyam Srivastava)**
**Under Secretary to the Government of India**

**To,**

**The Manager,**
**Govt. of India Press,**
**Mayapuri, Ring Road,**
**New Delhi-110064**

**F. No. 228/53/2026-AVD-II** **New Delhi dated: 25.05.2026**

**Copy to :**

(i) The Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Vallabh Bhavan, Bhopal -462004.
(ii) The Director, Central Bureau of Investigation (CBI), CGO Complex, New Delhi.
(iii) Director of Prosecution, CBI, CGO complex, New Delhi.
(iv) NSMC, Room No. 10, 9th Floor, DoP, CBI, CGO Complex, New Delhi-110003.
(v) Guard File.

**(Satyam Srivastava)**
**Under Secretary to the Government of India**